न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—225 / 2020 (जीसीएमएस नं. 2020 / 00106)

1. रघुवीर सिंह पुत्र दाताराम, जाति जाट निवासी तोलासेही, तहसील सूरजढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सूरजगढ, जिला झुन्झुनू राजस्थान।,

—— रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. श्री राजेश पूनिया, एडवोकेट अपीलान्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 15.11.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2015 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 325 रकबा 1.20 हैक्टयर सरहद राजस्व ग्राम तोलासेही मे स्थित है उक्त जमीन का खातेदार अपीलान्ट रघुवीर सिंह है तथा उक्त जमीन की पुरानी नक्शाशीट मे कटानी रास्ते का अंकन नही है, भू प्रबन्ध के दौरान सेटलमेन्ट टीम ने बिना समक्ष न्यायालय के आदेश के क्षेत्राधिकार से हटकर हाल नक्शासीट में खसरा नम्बर 323 रकबा 0.17 हैक्टयर गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जो गलत है इस कारण मौजूदा प्रकरण में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की प्रावधान लागू नही होते है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट अतिक्रमी नही है, अपीलान्ट ने किसी प्रकार का पुनः अतिक्रमण नही किया है दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से अपीलान्ट को पुनः अतिक्रमी मानने का निर्णय गलत रूप से पारित किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर को अपील सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करनी चाहिये थी क्योंकि कोई भी न्यायालय किसी व्यक्ति को कानूनन शर्त के तहत न्याय से वंचित नही कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू ने निर्णय जैर बहस स्पष्ट रूप से पारित नही किया है प्रकरण मैरिट पर अपीलान्ट के हक में है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को अपील सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करनी चाहिये थी। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2015 व दिनांक 29.07.2015 को अपास्त किया जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी व गिरदार हल्का की रिपोर्ट दिनांक 03.02.2015 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 0.03 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर पत्थर डालकर अतिक्रमण किया गया है, उक्त तथ्य की पुष्टि फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 13.03.2015 से भी होती है जिसके अनुसार उक्त अतिक्रमण को रास्ते से पत्थर अदि को हटाकर बेदखल कर रास्ते को खुलाया जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये है व मौके पर गाड़ी घुमाकर रास्ते को सुचारू रूप से चालू कराया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2015 में कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2015 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।